

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय—आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24 (2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद की वर्ष 2003–04 से 2004–05 तक की पुनर्विलोकन बैठक दिनांक 05.07.2022 में की गई अनुशंषानुसार निम्नलिखित अधिकारियों का वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर वउजिशिअ एवं समकक्ष पद से प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी) पर चयन वर्ष परिवर्तित किया जाता है:-

क्रस	वरिष्ठता क्रमांक	वर्ष	नाम आशार्थी श्री	जन्म तिथि	वर्ग	लिंग	शि. छू.	पूर्व चयन वर्ष	नयीन चयन वर्ष
1	208	ए	2001-02 चुनी लाल पिहार	30.08.63	अजा	पु0	१	- (2004-05)	2003-04 -
	(123)	(0)	(2002-03)						
2	215	०	2001-02 मंगला सम दायम	04.07.54	अजा	पु0	१	2003-04	2004-05

प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर पूर्व प्राप्त चयन परिलाभ उक्त चयन के परिणामस्वरूप पुनर्निर्धारण योग्य होगा।

(गोरख अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / माध्य / संस्था / बी-गा / प्रधानाचार्य / डीपीसी / 2003-04 से 2004-05 / दिनांक: 11/07/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
- संयुक्त शासन सचिव (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
- सिरटम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन एबी (प्रभाग बी-1/2) को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी (डीपीसी)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर